संख्या–3802 / 26–3–2010–10(27) / 99–टी0सी0

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
छत्रपति शाहूजी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान,
भागीदारी भवन, गोमती नगर ,लखनऊ ।

समाज कल्याण अनुभाग–3 लखनऊ, दिनांकः 2 नवम्बर, 2010

विषयः– चालू वित्तीय वर्ष 2010–2011 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–80 के अंतर्गत समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अंतर्गत आयोजनेत्तर पक्ष की योजनाओं में वेतन के अवशेषों के भुगतान हेतु की गयी बजट व्यवस्था के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक आपके पत्रांक–435–36 / भा0भ0 / 2010–11, दिनांक 13–10– 2010 के संदर्भ में एवं शासनादेश संख्या–4040 / 26–3–2009–10(27) / 99–टी0सी0, दिनांक 9–2–2010 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या– बी–1–951 / दस– 2010–231 / 2010, दिनांक 26–3–2010 में दिये गये दिशा निर्देशों के अधीन चालू वित्तीय वर्ष 2010–2011 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–80 के अंतर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में वेतन के अवशेषों के भुगतान हेतु नीचे दिये गये बजट प्राविधान रू0 1454.81 लाख के सापेक्ष संलग्नक में मूल आय– व्ययक में दिये गये योजनावार विवरण के अनुसार कुल रू0 5.50 लाख (रूपये पॉच लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त / स्वीकृत कर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

अनुदान संख्या–80–आयोजनेत्तर– (हजार रूपये में)

लेखाशीर्षक / योजना / मद का नाम	आय व्ययक प्राविधान 2010–11	अवमुक्त / स्वीकृत की जा रही धनराशि
2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–आयोजनेत्तर– 01–अनुसूचित जातियों का कल्याण– 800–अन्य व्यय– 03–अवशेषों का भुगतान– 01–वेतन–	145481	550

(रूपये पॉच लाख पचास हजार मात्र)

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष धनराशि का आवंटन / व्यय वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या– बी–1–951 / दस– 2010–231 / 2010, दिनांक 26–3–2010 में दिये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

---2

(2) उपर्युक्त स्वीकृत/अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आवंटन/व्यय वित्त विभाग द्वारा वित्तीय स्वीकृतियों के संबंध में निर्गत किये गये वित्तीय नियमों/प्रतिबंधों एवं वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग द्वारा छठे वेतन आयोग के वेतन पुनरीक्षण के संबंध में निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि छठे वेतन आयोग में दिये गये वेतनमानों के अनुसार पुनरीक्षण कर दिया गया है। अवशेष बची धनराशि समयान्तर्गत शासन को समर्पित करेंगे।

2– उपर्युक्त योजना पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–2011 के आय व्ययक में अनुदान संख्या–80 के अंतर्गत 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–आयोजनेत्तर–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–800–अन्य व्यय–03–अवशेषों का भुगतान–01–वेतन– के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या– बी–1–951/दस–2010–231/2010, दिनांक 26–3–2010 में प्रशासकीय विभागों को दिये गये दिशा निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या–3802 (1)/26–3–2010 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2– महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3– निदेशक समाज कल्याण,उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3– कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/।
4– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3/वित्त(आय व्ययक) अनुभाग–1/2
6– निदेशक एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
7– सलाहकार, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन।
8– गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(शशि कमल गोस्वामी)
अनु सचिव

शासनादेश सं0–3802/26–3–2010–10(27)/99–टी0सी0, दिनांक नवम्बर, 2010 का संलग्नक

अनुदान संख्या–80 आयोजनेत्तर (धनराशि हजार रूपयों में)

लेखाशीर्षक/योजना/ मद का नाम	स्वीकृत की जा रही धनराशि 2010–2011
राजस्व लेखा 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–आयोजनेत्तर– 01–अनुसूचित जातियों का कल्याण– 277–शिक्षा – 17–छत्रपति शाहूजी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान – 01–वेतन–	550
योग–277–17–	550

(रूपये पॉच लाख पचास हजार मात्र)

(शशि कमल गोस्वामी)
अनु सचिव